भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav
Har Ghar Tiranga
13th-15th August 2022

भारत 2023 INDIA

भाविप्रा / रांची / धालभूमगढ़ / 2023 / 1376-78

दिनांकः 22.05.23

सेवा में,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर –

विषयः– धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु 99.256 हेक्टर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में

प्रसंग : 1. पत्रांक 295 / जमशेदपुर, दिनांक 11.02.2023, कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के साथ संयुक्त बैठक दिनांक 08.05.2023 के संदर्भ में उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में दिशा निर्देश के अनुसार धालभूमगढ़ हवाईअड्डा के विकास हेतु 99.256 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में बतायी गयी त्रुटियों में अपेक्षित सुधार कर पुनः समर्पित की जा रही है।

त्रुटियों, निर्देश एवं अनुपालन प्रतिवेदन निम्नलिखित है।

क0सं0	पाई गई त्रुटियां	अनुपालन प्रतिवेदन
3.	आपके द्वारा समर्पित KML Files में त्रुटियां परिलक्षित हुई है जो निम्नवत् है :– **गैर वनभूमि** समर्पित KML Files का रकवा हे0 में: 0.709 वास्तविक रकवा हे0 में: 0.729 भिन्नता हे0 में: 0.020 **वनभूमि** समर्पित KML Files का रकवा हे0 में: 53.847 वास्तविक रकवा: 53.853 भिन्नता हे0 में: 0.006	निर्देशनुसार त्रुटियां का निराकरण कर KML CD में समर्पित की जा रही है।
4.	प्रस्तावित वन भूमि का घनत्व 0.71 है। भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV Revised rates दिनांक 06.01.2022 के दिशानिर्देश के आलोक में 1357110 /– दर प्रति हेक्टयर के आलोक में NPV राशि की गणना की जानी है। जबकि आपके द्वारा 1228590 /– दर प्रति हेक्टर के आलोक में गणना कर लागत–लाभ प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जो कि त्रुटी पूर्ण है।	प्राप्त निर्देश के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV Revised rates दिनांक 06.01.2022 के दिशानिर्देश के आलोक में 1357110 /– दर प्रति हेक्टयर के आलोक में Cost Benefit Analysis संशोधित कर पुनः नौ प्रतियों में समर्पित की जा रही है।
5.	आपके द्वारा अब तक प्रस्ताव से संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति समर्पित नहीं किया है।	प्रस्ताव से संबंधित FRA प्रमाण हेतु ग्राम सभा की कार्यवाही प्रगति पर है। कार्यालय उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से FRA प्रमाण पत्र निर्गत होते हीं, प्रायेजन हेतु प्रमाण पत्र समर्पित कर दी जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करें।

सधन्यवाद,

भवदीय

(के. एल. अग्रवाल) 22/05/23
विमानपत्तन निदेशक,

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, नागर विमानन विभाग, झारखण्ड सरकार

*** हिंदी पत्रों का स्वागत है ***

कार्यालयः विमानपत्तन निदेशक बिरसा मुण्डा हवाईअड्डा, राँची–834002 टेलि.: 0651–2253395 ई-मेलः apd_verc@aai.aero
O/o The Airport Director Birsa Munda Airport, Ranchi-834002 Tel: 0651- 2253395(O) Email: apd_verc@aai.aero